न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 47 / 2024 (उदयपुर डिक्की)

1. किशनलाल पुत्र मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती झमकु पुत्री मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
3. श्रीमती नानाबाई पुत्री मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
4. रामलाल पुत्र मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती बसन्ती पुत्री रतनलालजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मंजु कुमारी पुत्री रतनलालजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. रतनलाल पुत्र भूराजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रतनीबाई पत्नी रतनलालजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 99 / 2024 (उदयपुर डिक्की)

1. किशनलाल पुत्र मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती झमकु पुत्री मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर
2. श्रीमती नानाबाई पुत्री मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested

3. रामलाल पुत्र मानाजी मेघवाल, निवासी लियों का गुड़ा हाल कुमावतों का गुड़ा, मेघवालों की गवाड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती बसन्ती पुत्री रतनलालजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मंजु कुमारी पुत्री रतनलालजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. रतनलाल पुत्र भूराजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रतनीबाई पत्नी रतनलालजी मेघवाल, निवासी डुलावतों का गुड़ा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 4

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड
अधिकारी बड़गांव प्रारम्भिक डिक्री दि.
31.05.2024 अंतिम डिक्री दिनांक
25.06.2024 प्रकरण सं. 24/2024

———::———

निर्णय **दिनांक 17–06–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुमावतों का गुडा, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 2673 रकबा 2.4152 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested

1/6 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा कुलिया 2/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/15, 1/15 हिस्सा व उनकी माता डाली बाई का 1/15 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की माता डाली बाई फोत होने से उनका 1/15 हिस्सा चारों प्रतिवादीगण में विभक्त हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा होकर कुलिया 1/3 हिस्सा है तथा पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण अपने 2/3 हिस्से का ऋण लेना चाहते हैं तथा अपनी भूमि को उपजाउ बनाना चाहते है व कन्वर्ड कराना चाहते हैं ताकि अपनी इच्छा अनुसार उपयोग–उपभोग कर सकें। अतः आराजी नंबर 2673 रकबा 2.4152 हैक्टर में वादीगण के 2/3 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 2673 रकबा 2.4152 हैक्टर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है तथा भूमि शामलाती चली आ रही है। वादीगण मौके पर कभी नहीं आये, बल्कि भूमि दलालों द्वारा वादीगण के नाम से भूमि क्रय की गयी है तथा मौके पर अमरसिंह राजपूत आकर प्रतिवादीगण को डरा धमका कर पीछे की भूमि देना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण के उक्त काउण्टर क्लेम का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का यह कथन मिथ्या व मनगढ़न्त है कि वादीगण मौके पर कभी नहीं आये, जबकि वादीगण अपने हिस्से की भूमि का काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। हम वादीगण अमरसिंह को जानते तक नहीं है, वो प्रतिवादीगण को डरा रहे हैं इसकी हमें कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण विवादित भूमि के सहखातेदार हैं तथा सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर विवादित आराजी का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–05–2024 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 25–06–2024 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 31–05–2024 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 47/2024 दिनांक 24–06–2024 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 25–06–2024 के विरूद्ध अपील संख्या 99/2024 इस न्यायालय में दिनांक 12–09–2024 को प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 24/2024 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा दोनों अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपील संख्या 99/2024 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के उसके साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। सर्वप्रथम बार जानकारी दिनांक 28–08–2024 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे। ताईद में साथ सत्य प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पत्रावली काउण्टर वाद के जवाब हेतु दिनांक 28–05–2024 को नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 31–05–2024 नियत की गयी एवं उसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का जवाब लेकर अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में वाद स्वीकार कर एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा खण्डन का जवाबदावा व काउण्टर क्लेम होने के बावजूद कोई तनकी कायम नहीं की गयी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा उक्त भूमि का आंशिक विभाजन ही किया गया है। विभाजन में अपीलान्टगण को पीछे की जमीन दी गयी है तथा मौके पर कोई रास्ता कायम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर अपीलान्टगण को आने–जाने का रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें तथा पुनः विभाजन सूची मंगवायी जाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण बावजूद अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी की गयी है तथा विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किया गया है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी नंबर 2673 रकबा 2.4152 हैक्टर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:50 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदार हैं। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 का ही जवाबदावा माना है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम नहीं कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बंडगांव को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था, जबकि तहसीलदार मौके पर नहीं गये एवं पटवारी हल्का को बंटवारा तैयार करने हेतु आदेशित कर दिया। तहसीलदार को अपने अधिकारी को अपनी शक्तियों को डेलीगेट करने का अधिकार नहीं है। विभाजन में रास्ता कायम नहीं किया गया है तथा सभी के खाते अलग–अलग विभाजित नहीं किये गये हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31–05–2024 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25–06–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए वाद एवं काउण्टर क्लेम पर पक्षकारों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–08–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 17–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested